बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–02–800–01/2025– 51 ले०/ए० पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रेषक,

श्रीप्रकाश
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–2026 में राज्य योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना के लिए कुल 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रूपये की योजना का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रूपये की योजना का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत अवयवों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–I** के रूप में संलग्न है। योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग होंगे। **परिशिष्ट–III** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न **परिशिष्ट–II** के रूप में श्रेणीवार संबंधित बजट शीर्ष एवं विषय शीर्ष से भौतिक एवं वित्तीय आकार की विवरणी के अनुरूप करेगें।

4. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुल 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत निम्न शीर्षो से श्रेणीवार विकलनीय होगा–

(क) सामान्य जाति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–201–चीनी मांग संख्या–45 उपशीर्ष–0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852082010103 से विकलनीय होगा।

(ख) अनुसूचित जाति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–789–चीनी मांग संख्या–45 उपशीर्ष–0101 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852087890101 से विकलनीय होगा।

(ग) अनुसूची जनजाति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–796–चीनी मांग संख्या–45 उपशीर्ष–0102 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852087360102 से विकलनीय होगा।

5. योजना कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश **परिशिष्ट–'IV'** के रूप में संलग्न है।

6. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। वित्त विभाग के पत्रांक–3576 (वि०) दिनांक–01.04.2024 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

7. विषय शीर्षो में कर्णांकित राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

8. उक्त योजना का व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को व्यय के उपरांत तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

कृ.पृ.उ.......2

28.4.25

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3578/वि० दिनांक–31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

10. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–02/रेगु०–02–800–01/2025 के पृष्ठ सं०–3–4/टि० पर दिनांक–17.04.2025 को प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रस्ताव में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

28.4.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–01/2025– 51 ख्रो०/cc पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतिहारी/सीतामढ़ी/सीवान/समस्तीपुर/पूर्णियाँ/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.04.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–01/2025– 51 ख्रो०/cc पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.04.25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–01/2025– 51 ख्रो०/cc पटना, दिनांक– 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

28.04.25

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–I

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

वर्ष 2025–26 में प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना का स्वीकृत कार्य योजना

क्र0 सं0	कार्य अवयव	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		कुल योग	
		भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विषय शीर्ष– 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान–								
1.1	विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन	14	50.06658	14	9.68640	14	0.78702	14	60.54000
1.2	विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त भ्रमण पर व्यय	———	7.82342	———	1.51360	———	0.12298	———	9.46000
	योग–		**57.89000**		**11.20000**		**0.91000**		**70.00000**
2	विषय शीर्ष– 20 02 कान्फ्रेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार–								
2.1	प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के प्रसार हेतु इन्वेस्टर मीट/सेमिनार एवं अन्य आवश्यक विषय पर सेमिनार तथा कान्फ्रेंस/ बिहार दिवस–2025 के अवसर पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल/प्रदर्शनी/कृषक प्रशिक्षण इत्यादि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वचनबद्ध राशि	———	49.62000	———	9.60000	———	0.78000	———	60.00000
	योग–		**49.62000**		**9.60000**		**0.78000**		**60.00000**
3	विषय शीर्ष– 13 01 कार्यालय व्यय–								
3.1	योजना का प्रचार–प्रसार/कम्प्युटरीकरण/मुद्रण आदि हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता	———	24.81000	———	4.80000	———	0.39000	———	30.00000
	योग–		**24.81000**		**4.80000**		**0.39000**		**30.00000**
	कुल योग (1+2+3)–		**132.32000**		**25.60000**		**2.08000**		**160.00000**

(एक करोड़ साठ लाख रू0) मात्र।

28.04.25

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–'II'

राज्य योजना अंतर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना का वर्ष 2025–26 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं घटकवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध विपत्र कोड–45–2852082010103, 45–2852087890101 एवं 45–2852087960102 के अंतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम/कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष– 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान												विषय शीर्ष– 20 02 कान्फ्रेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार			
		विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन								विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त भ्रमण पर व्यय				प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के प्रसार हेतु इन्वेस्टर मीट/सेमिनार एवं अन्य आवश्यक विषय पर सेमिनार तथा कान्फ्रेंस/बिहार दिवस–2025 के अवसर पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल/प्रदर्शनी/कृषक प्रशिक्षण इत्यादि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वचनबद्ध राशि			
		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
		भौतिक (संख्या में)	वित्तीय	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सहायक ईखायुक्त, उ0 बि0, मुजफ्फरपुर	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	**0.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
2	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.82700	0.16000	0.01300	**1.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
3	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.82700	0.16000	0.01300	**1.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
4	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.41350	0.08000	0.00650	**0.50000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
5	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.82700	0.16000	0.01300	**1.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
6	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.82700	0.16000	0.01300	**1.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
7	ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.41350	0.08000	0.00650	**0.50000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
8	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.41350	0.08000	0.00650	**0.50000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
9	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.82700	0.16000	0.01300	**1.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
10	ईख पदाधिकारी, सिवान	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.82700	0.16000	0.01300	**1.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
11	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	1	2.60505	1	0.50400	1	0.04095	1	**3.15000**	0.82700	0.16000	0.01300	**1.00000**	49.62000	9.60000	0.78000	**60.00000**
12	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	**0.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
13	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, पटना	4	24.01608	4	4.64640	4	0.37752	4	**29.04000**	0.79392	0.15360	0.01248	**0.96000**	0.00000	0.00000	0.00000	**0.00000**
	कुल योग	**14**	**50.06658**	**14**	**9.68640**	**14**	**0.78702**	**14**	**60.54000**	**7.82342**	**1.51360**	**0.12298**	**9.46000**	**49.62000**	**9.60000**	**0.78000**	**60.00000**

28.4.25

)

परिशिष्ट–'II' (पृष्ठ–02)

राज्य योजना अंतर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना का वर्ष 2025–26 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं घटकवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उसके विरूद्व विपत्र कोड–45–2852082010103, 45–2852087890101 एवं 45–2852087960102 के अंतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम/कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष– 13 01 कार्यालय व्यय				कुल योग			
		योजना का प्रचार–प्रसार/कम्प्युटरीकरण/मुद्रण आदि हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता							
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
		वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	सहायक ईखायुक्त, उ0 बि0, मुजफ्फरपुर	0.16540	0.03200	0.00260	**0.20000**	0.16540	0.03200	0.00260	**0.20000**
2	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	0.57890	0.11200	0.00910	**0.70000**	4.01095	0.77600	0.06305	**4.85000**
3	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	0.57890	0.11200	0.00910	**0.70000**	4.01095	0.77600	0.06305	**4.85000**
4	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा	0.41350	0.08000	0.00650	**0.50000**	3.43205	0.66400	0.05395	**4.15000**
5	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया	0.57890	0.11200	0.00910	**0.70000**	4.01095	0.77600	0.06305	**4.85000**
6	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया	0.57890	0.11200	0.00910	**0.70000**	4.01095	0.77600	0.06305	**4.85000**
7	ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ	0.41350	0.08000	0.00650	**0.50000**	3.43205	0.66400	0.05395	**4.15000**
8	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	0.57890	0.11200	0.00910	**0.70000**	3.59745	0.69600	0.05655	**4.35000**
9	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.57890	0.11200	0.00910	**0.70000**	4.01095	0.77600	0.06305	**4.85000**
10	ईख पदाधिकारी, सिवान	0.57890	0.11200	0.00910	**0.70000**	4.01095	0.77600	0.06305	**4.85000**
11	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	0.16540	0.03200	0.00260	**0.20000**	53.21745	10.29600	0.83655	**64.35000**
12	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	0.16540	0.03200	0.00260	**0.20000**	0.16540	0.03200	0.00260	**0.20000**
13	निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, पटना	19.43450	3.76000	0.30550	23.50000	44.24450	8.56000	0.69550	**53.50000**
	कुल योग	**24.81000**	**4.80000**	**0.39000**	**30.00000**	**132.32000**	**25.60000**	**2.08000**	**160.00000**

28.4.25

संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–'III'

राज्य योजना अंतर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना का वर्ष 2025–26 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं घटकवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उसके विरूद्व विपत्र कोड–45–2852082010103, 45–2852087890101 एवं 45–2852087960102 के अंतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य श्रेणी	अनु0 जाति श्रेणी	अनु0 जनजाति श्रेणी	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक ईखायुक्त, उ0 बि0, मुजफ्फरपुर	0.16540	0.03200	0.00260	0.20000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
2	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	4.01095	0.77600	0.06305	4.85000	कोषागार, समस्तीपुर
3	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	4.01095	0.77600	0.06305	4.85000	कोषागार , गोपालगंज
4	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा	3.43205	0.66400	0.05395	4.15000	कोषागार, दरभंगा
5	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया	4.01095	0.77600	0.06305	4.85000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
6	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया	4.01095	0.77600	0.06305	4.85000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
7	ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ	3.43205	0.66400	0.05395	4.15000	कोषागार, पूर्णियाँ
8	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	3.59745	0.69600	0.05655	4.35000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
9	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	4.01095	0.77600	0.06305	4.85000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
10	ईख पदाधिकारी, सिवान	4.01095	0.77600	0.06305	4.85000	कोषागार, सिवान
11	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	53.21745	10.29600	0.83655	64.35000	कोषागार, पटना
12	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	0.16540	0.03200	0.00260	0.20000	कोषागार , गोपालगंज
13	निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, पटना	44.24450	8.56000	0.69550	53.50000	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	कुल योग	**132.32000**	**25.60000**	**2.08000**	**160.00000**	

(एक करोड़ साठ लाख रू0) मात्र।

28.04.25

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–'IV'

वित्तीय वर्ष 2025–2026 में राज्य योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के अन्तर्गत नई चीनी मिल की स्थापना/क्षमता विस्तार, डिस्टीलरी की स्थापना/क्षमता विस्तार, कोजेन (सह विद्युत) की स्थापना/क्षमता विस्तार तथा किसानों के हित में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण आवश्यक है। इस क्रम में राज्य में गन्ना का रकवा के सही आकलन के उद्देश्य से जी०पी०एस० सर्वे का सफल पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही मिल गेट एवं क्रय केन्द्र पर घटतौली की रोकथाम हेतु औचक निरीक्षण कार्य किया जाना आवश्यक है ताकि गन्ना किसानों को उनके गन्ने का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों का निवेशकों के बीच प्रचारित करने से राज्य में नई गन्ना चीनी मिल की स्थापना को बल मिलेगा एवं उस क्षेत्र के गन्ना किसानों को आर्थिक लाभ एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ गन्ना के क्षेत्र विस्तार एवं औसत उत्पादकता में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में गन्ना की खेती अधिकांशत बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार के जिलों में की जाती है। जबकि गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसानों को भी गन्ना की खेती एवं रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना है। उपरोक्त योजनाओं की जानकारी निवेशकों एवं किसानों को उपलब्ध करवाने हेतु सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन आवश्यक है जिससे राज्य के बाहर के निवेशक आकर्षित हो तथा किसानों को गन्ना खेती हेतु प्रेरित किया जा सके तथा गन्ना का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित कराया जा सके।

इन उद्देश्यों के पूर्ति हेतु योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **बिहार वित्त संशोधित नियमावली–2024 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों** का अनुपालन करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे। इस योजनांतर्गत घटकवार योजना कार्यान्वयन हेतु निम्नवत् अनुदेश दिया जाता है–

(1). विषय शीर्ष–13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान–

1.1 विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन–

विभाग के प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के लिए एक सक्षम पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तंत्र की आवश्यकता है। विभाग की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर वाहन की आवश्यकता का आकलन किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं बिहार ईख सेवा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को क्रमशः स्कोर्पियो/टवेरा/जाईलो ए०सी० वाहन एवं बोलेरो/टाटा सूमो श्रेणी की ए०सी० भाड़े का वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मुख्यालय स्तर पर संयुक्त सचिव, संयुक्त ईखायुक्त, सचिव कोषांग एवं आवश्यकतानुसार मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी को 12 माह के लिए 04 गाड़ी (अप्रैल, 25 से मार्च, 26 तक) तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अंतर्गत ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/दरभंगा/पूर्णियाँ/सीवान/रामनगर अंचल, बेतिया/ बेतिया अंचल बेतिया/मुजफ्फरपुर/मोतिहारी/विशेष ईख पदाधिकारी, पटना को 09 माह (जुलाई, 25 से मार्च, 26 तक) एवं के लिए वाहन अनुमान्य होगा। साथ ही मुख्यालय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए यह अनुदेश लागू होगा कि अतिरिक्त प्रभार वाले पदाधिकारी किसी एक ही कार्यालय को आवंटित वाहन का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए संलग्न परिशिष्ट–II/III के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने से संबंधित कोषागार से स्वीकृत राशि की सीमा में आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर सकेंगे। संयुक्त सचिव, संयुक्त ईखायुक्त, सचिव कोषांग एवं आवश्यकतानुसार मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी को को उपलब्ध कराए जाने वाले भाड़े की वाहन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का होगा।

मुख्यालय स्तर पर भाड़े की गाड़ी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा विभाग में empanelled एजेन्सी से ली जायेगी। क्षेत्रीय अथवा जिला स्तर पर भाड़े की गाडी संबंधित जिला नजारत द्वारा निर्धारित दर पर ली जायेगी। भाड़े के वाहन का लॉग बुक संबंधित पदाधिकारी द्वारा नियमित संधारित किया जाएगा एवं सुरक्षित रखा जाएगा। संबंधित पदाधिकारी वैसे वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था से वाहन ले सकते हैं, जो काली सूची (Black List) में दर्ज नहीं हो तथा जिसके पास GST का निबंधन पत्र एवं वर्ष 2020 तथा उसके बाद का वाणिज्य निबंधित वाहन उपलब्ध हो।

28.4.25

1.2 **विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त भ्रमण पर वाहन का ईंधन**– इस योजनांतर्गत मुख्यालय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भाड़े के वाहन द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु आवंटित वाहनों को निर्धारित कि०मी० से अधिक भ्रमण पर कंडिका–1.1 के अनुसार निर्धारित दर पर प्रति कि०मी० अतिरिक्त ईंधन की राशि का व्यय अनुमान्य किया गया है, इस हेतु वाहन के लिए संधारित लॉग बुक के अनुसार अतिरिक्त भ्रमण पर व्यय किए गए ईंधन के अभिश्रव की अनिवार्यता होगी। इसके लिए संलग्न परिशिष्ट–II/III के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने से संबंधित कोषागार से स्वीकृत राशि के अंतर्गत आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर सकेंगे।

(2) **विषय शीर्ष–20 02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला एवं सेमिनार :**

2.1 **प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के प्रसार हेतु इन्वेस्टर मीट/सेमिनार एवं अन्य आवश्यक विषय पर सेमिनार तथा कान्फ्रेंस/बिहार दिवस–2025 के अवसर पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल/प्रदशर्नी/कृषक प्रशिक्षण इत्यादि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वचनबद्ध राशि**– प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के प्रसार हेतु इन्वेस्टर मीट/सेमिनार एवं अन्य आवश्यक विषय पर सेमिनार तथा कॉन्फ्रेन्स/बिहार दिवस–2025 के अवसर पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल/प्रदशर्नी/कृषक प्रशिक्षण इत्यादि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वचनबद्ध राशि हेतु कुल 60.00 (साठ) लाख रू० की राशि कर्णांकित की गयी है। इसी राशि में से विशेष ईख पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–65 दिनांक–08.04.2025 के आलोक में **बिहार दिवस–2025** के अवसर पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा लगाये गये स्टॉल/प्रदर्शनी/कृषक प्रशिक्षण इत्यादि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वचनवद्ध राशि मो० 32,60,985/– (बत्तीस लाख साठ हजार नौ सौ पचासी) रूपये का भुगतान किया जा सकेगा।

इन्वेस्टर मीट/सेमिनार के आयोजन हेतु नोडल पदाधिकारी द्वारा मुख्यालय से समन्वय कर आयोजक के रूप में ऐसे संस्थान जिन्हें इन्वेस्टर मीट/सेमिनार के आयोजन का पूर्व अनुभव हो, को उनके कार्य अनुभव के आधार पर बिहार वित्त संशोधित नियमावली–2024 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में इन्वेस्टर मीट/सेमिनार का आयोजन कराया जायेगा। इन्वेस्टर मीट/सेमिनार के आयोजन हेतु आयोजक के रूप में ऐसे संस्थान जिन्हें इन्वेस्टर मीट/सेमिनार के आयोजन का पूर्व अनुभव हो, को उनके कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनसे इन्वेस्टर मीट/सेमिनार का आयोजन कराया जायेगा। चयनित आयोजक के द्वारा सम्पूर्ण कार्यक्रम का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराना तथा इसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए नोडल पदाधिकारी विशेष ईख पदाधिकारी, पटना होगें। नोडल पदाधिकारी इन्वेस्टर मीट/सेमिनार के आयोजन हेतु चयनित फर्म एवं विभाग के मध्य सभी तैयारियाँ हेतु समन्वयक होगें। कार्यक्रम सम्पादन के उपरांत चयनित फर्म द्वारा समर्पित अभिश्रवों के आधार पर इस मद में आवंटित राशि की निकासी विशेष ईख पदाधिकारी, पटना–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जा सकेगी।

(3). **विषय शीर्ष– 13 01 कार्यालय व्यय–**

3.1 **योजना का प्रचार–प्रसार/कम्प्यूटरीकरण/मुद्रण आदि हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता**– योजना का प्रचार–प्रसार/कम्प्यूटरीकरण/मुद्रण आदि हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता आदि हेतु कुल 30.00 (तीस) लाख रू० की राशि कर्णांकित की गयी है। आकस्मिकता मद में मुख्यालय हेतु स्वीकृत राशि का व्यय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कर सकेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर सकेंगे।

28.4.25

संयुक्त सचिव।